निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या :– 160/2023 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक :– 23/10/2023
निर्णय दिनांक :– 20/11/2024

अनवान

1. उदयराम पिता गोरधन जाति गुर्जर निवासी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द राजस्थान
2. शम्भु सिंह पिता मदन सिंह जाति राजपुत निवासी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द राज0
3. उम्मेद सिंह पिता मदन सिंह जाति राजपुत निवासी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द राज0
4. सतिश पिता मदन सिंह जाति राजपुत निवासी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द राज0
5. अनीता पत्नि मदन सिंह जाति राजपुत निवासी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द राज0
6. रीना पुत्री मदन सिंह जाति राजपुत निवासी देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द राज0

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

गया कि ग्राम प्रार्थीगण कि खाते एव कब्जे सुदा आराजियात ग्राम देवगढ पटवार हल्का देवगढ तहसील देवगढ में स्थित है जिसके पुर्व जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता सख्या 1376/1143 के खसरा न. 5103/3019 रकबा 6.05 बीघा व खसरा संख्या 5104/3018 रकबा 0.08 बीघा कुल किता 2 रकबा 6.13 बीघा भुमी राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी ।उक्त भूमि पर प्रार्थीगण माफिक कब्जा एवं हिस्सें अनुसार कालान्तरण से ही उपयोग उपभोग करते आ रहे है एवं काबिज है भूमि कि चार दिवारी बनी होकर भूमि पर कास्त कर रहे है भूमि पर प्रार्थीगण ने एक नया आराजी चाह कुआ भी खुदवाया जिससे अपनी भूमि काबिल कास्त बनाई जिनमें प्रार्थीगण ने लाखो रूपये खर्च किये ।वर्तमान में राजस्व सेटलमेंट लागु होने पर प्रार्थीगण के पुर्व खाते व नक्से मे खसरा न0 5103/3019 व 5104/3018 कुल किता 2 रकबा 6.13 बीघा भुमी राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। जिस पर सेटलमेंट विभाग ने बिना प्रार्थीगण को सुने यह कहते हुय नोट अंकित कर दिया गया कि तहसील से तरमीम नही होना एवं मौके पर कब्जा नही होने से नवीन सीमाकंन नही हो सका एवं उक्त भूमि को राजस्व रेकार्ड में कही दर्ज नही कि गई न ही नवीन खसरा संख्या दर्ज किये गये उक्त पुर्व रकबे का नवीन नम्बर नही डाले गये । जबकि प्रार्थीगण बाउण्डरी बना कास्त कर रहे है। उक्त भुमी कि गलत तरमीम करते हुये प्रार्थीगण का नाम विलोपीत कर दिया गया। जबकि प्रार्थीगण वास्तव में जहां काबिज होकर कास्त कर रहा था एवं उपयोग उपभोग कर रहा था मौके पर प्रार्थी कि बाउण्डरी बनी होकर लौहे कि फाटक लगी हुई है उसी अनुसार नक्से में तरमीम एव राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज किया जाना था जहां प्रार्थीगण वास्तवीक रूप से मौके पर काबिज था एव प्रार्थीगण वर्तमान में कास्त कर रहा है जिसे जरीये ईन्द्राज दुरस्ती शुद्ध किया जाना आवश्यक है।राजस्व सेटलमेंट अधिकारी द्वारा बिना तथ्यो के जांच बिना मौके को देखे बिना प्रार्थीगण को बिना सुचना दिये मन मकसुद तरीके से पुर्व के राजस्व ईन्द्राज खतौनी परिर्वतन करते हुए प्रार्थीगण

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

कि भुमी उक्त रकबे खसरा न. 5103/3019 व 5104/3018 कुल किता 2 रकबा 6.13 बीघा मे प्रार्थीगण का नाम विलोपीत कर दिया गया। प्रार्थीगण अपने हिस्से एव राजस्व पुर्व नक्से अनुसार आज भी मौके पर काबिज है। उक्त ईन्द्राज मन मकसुद तरीके से राजस्व रेकार्ड में किया गया।राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम विलोपित कर दिया गया जबकि प्रार्थीगण वास्तवीक रूप से जहा मौके पर काबिज है प्रार्थीगण कि भूमि के आस पास के समस्त खातेदार जिनके खसरा संख्या 3160, 3159, 3158, 3128, 3129, 3126, 3130, 3165, 3166, 3122, 3121 आदी खसरे का नक्सा भी मौके कि स्थिति अनुसार परिवर्तित कर दिया प्रार्थी इन्ही खसरा के मध्य पुर्व के खसरा संख्या 5103/3019 व 5104/3018 कुल किता 6.13 बीघा भूमि अनुसार मौके पर काविज है मौके पर प्रार्थीगण कि आराजी में कुआ भी बना हुआ है । वर्तमान में उक्त वर्णि त समस्त खसरा नम्बर के नक्से व खातेदार कि वास्तवीक स्थिती का गलत इन्द्रा नक्से व राजस्व रेकार्ड में कर दिया गया इन्ही खसरा के मध्य प्रार्थीगण पुर्व खसरा अनुसार मौके पर काविज कास्त है जिससे उन्हे जरीये इन्द्राज शुद्धी मौके कि स्थिति अनुसार राजस्व रेकार्ड व नक्से में शुद्ध किया जाना आवश्यक है। उक्त भुमी प्रार्थीगण के खाते व नक्से में राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी परन्तु लिपिकिये भुल से वर्तमान खसरे के नक्से में राजस्व ईन्द्राज में गलत रूप से ईन्द्राज खतौनी कि गलती रहने से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है वास्तव में उक्त गलती राजस्व रेकार्ड में ईन्द्राज संधारक के समय वर्षानुवासी सेटलमेंट ईन्द्राज खतोनी के समय गलती के रूप से हुई । उक्त ईन्द्राज गलत दर्ज होने कि जानकारी प्रार्थीगण को पुर्व कि जमाबन्दी नकल लेने एव पटवार हल्का संम्पर्क करने से दिनांक 15.09.2023 को उत्पन्न हुई तब से वाद हेतुक उत्पन्न हो निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम आराजियात ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का देवगढ तहसील देवगढ में स्थित है जिसके पुर्व जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता सख्या 1376/1143 के खसरा न.

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

5103/3019 रकबा 6.05 बीघा व खसरा संख्या 5104/3018 रकबा 0.08 बीघा कुल किता 2 रकबा 6.13 बीघा भूमी कि मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज शुद्धी किया जाकर मौके पर स्थित समस्त खसरा संख्या 3160, 3159, 3158, 3128, 3129, 3126, 3130, 3165, 3166, 3122, 3121 का नक्शा एवं राजस्व रेकार्ड को जरीये इन्द्राज शुद्धी मौके पर कब्जे एवं हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड व नक्से में शुद्ध किया जावें एवं प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड व नक्से में बतौर खातेदार शुद्ध करते हुये दर्ज किया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किया गया जो सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ। प्रत्युत्तर में अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश किया। जवाब में उल्लेखित किया कि ग्राम देवगढ़ के गत जमाबन्दी संवत् 2070–2073 के खाता संख्या 76 आराजी संख्या 5103/3019 रकबा 6.05 बीघा, आराजी संख्या 5104/3018 रकबा 0.08 विश्वा शम्भुसिंह, ओमप्रकाशसिंह, सत्येन्द्रसिंह पिता मदनसिंह अनिताबाई पत्नि मदनसिंह राजपूत 1/3 मुन्नीदेवी पुत्र उंकारसिंह 1/18 शम्भुसिंह, उम्मेदसिंह सतीशसिंह रीना पिता मदनसिंह, मुन्नीदेवी पत्नि मदनसिह राजपूत 1/6 उदयराम पिता गोरधन हिस्सा 4/9 के नाम दर्ज रिकॉर्ड था। ग्राम देवगढ़ में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा पुराने आराजी संख्या 5103/3019 रकबा 6.05 बीघा, आराजी संख्या 5104/3018 रकबा 0.08 बिश्वा के नवीन आराजी नहीं बनाये गये। आराजी संख्या 5103/3019 रकबा 6.05 बीघा, आराजी संख्या 5104/3018 रकबा 0.08 बिश्वा पुराने नक्शें में तरमीम नहीं है। ग्राम देवगढ़ में प्रार्थी पूर्व से काबिज है। प्रार्थी मौके अनुसार ग्राम देवगढ के आराजी संख्या 3165, 3166, 3161, 3162, 3160, 3159, 3128 के बीच स्थित है। प्रार्थी की वर्तमान नक्शें में आराजी संख्या 3124, 3179, 3166, 3165, 3160, 3159, 3128, 3122, 3163 के बीच काबिज है।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटि को शुद्ध किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में प्रार्थीगण के नाम जमाबन्दी संवत् 2070–2073 के खाता संख्या 1376/1143 के खसरा संख्या 5103/3019 एवं 5104/3018 कुल किता 02 कुल रकबा 6.13 बीघा भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी। प्रार्थीगण उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है एवं काबिज है भूमि पर काबिज कास्त कर रहे है। वर्तमान सेटलमेन्ट में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना मौके की जांच पड़ताल किये प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में नाम विलोपित कर दिया है जहां प्रार्थीगण की भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज थी मौके पर कब्जा था राजस्व नक्शे में उस अनुसार काबिज थी वह उसको खसरा मिलान शीट में नये आराजी के नम्बर दर्ज ही नहीं किये गए। खसरा संख्या 3160 दर्ज कर वहां पूर्व की भूमि के बजाय 0.15 हैक्टेयर अंकित कर दिया गया। जबकि वास्तव में प्रार्थी के समीप स्थित खसरा संख्या 3160, 3159, 3158, 3128, 3129, 3126, 3130, 3165, 3166, 3122, 3121, का नक्शा राजस्व रिकॉर्ड में गलत तरमीम कर दिया गया है जिसे एक चक करते हुए जहां प्रार्थी काबिज है वहा प्रार्थी के नाम एवं समस्त आराजियात को एक करते हुए मौके अनुसार तरमीम पुनः की जावे सेटलमेन्ट विभाग की तरमीम निरस्त कर समस्त आराजियात को एक करते हुए प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे जरिये इन्द्राज शुद्धि दर्ज किया जावे। विपक्षी पैरोकार सरकार ने अपना जवाब मय तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के वर्तमान नक्शे में आराजी संख्या 3165, 3166, 3161, 3162, 3160, 3159, 3128 के बीच भूमि स्थित है प्रार्थी की भूमि मौके पर काबिज है सम्पूर्ण आराजी संख्या 3124, 3179, 3166, 3165, 3160, 3159, 3128, 3122 एवं 3123 सहित सम्पूर्ण भूमि को एकचक करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नक्शा माफिक कब्जा तरमीम किया जा सकता है एवं प्रार्थी

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

का नाम राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व में दर्ज था। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने मौका रिपार्ट की ताईद की।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> 90[Correction of errors – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a REvenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.]

(अ) प्रकरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधानों की माननीय न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या को समझना उचीत प्रतीत होता है।

(1) 1996 आर0बी0जे0 पृष्ठ 8: ख्याली व अन्य बनाम स्टैट ऑफ राजस्थान व अन्य(उच्च न्यायालय)

RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956- SECTION 136-
Wrong entry made during settlement operation can be corrected by Land Record Officer.

(2) 2003 आर0बी0जे0 पृष्ठ 118: रूपनारायण बनाम कजोड़मल

RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956- SECTION 136-
Settlement Authorities have no power to delete the original entries and make new entries- In this case

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

during the settlement operations Assistant Settlement Officer deleted the name of the applicant who is a recorded khatedar of the disputed land and made entries in the name of non-applicant whereas settlement authorities have no right to delete the original entry and made new entries without any of the competent court. **Revision accepted.**

उभयपक्ष की बहस का मनन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पेश जवाब का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, देवगढ़ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के प्रार्थीगण के नाम जमाबन्दी संवत् 2070–2073 के खाता संख्या 1376/1143 के खसरा संख्या 5103/3019 एवं 5104/3018 कुल किता 02 कुल रकबा 6.13 बीघा भूमि में पूर्व अनुसार प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि किया जावे वर्तमान नक्शे में आराजी संख्या 3165, 3166, 3161, 3162, 3160, 3159, 3128 के बीच भूमि जहां प्रार्थीगण की भूमि काबिज है वह सम्पूर्ण आराजी संख्या 3124, 3179, 3166, 3165, 3160, 3159, 3128, 3122 एवं 3163 सहित भूमि को एकचक करते हुए मौके पर कब्जे व हिस्से अनुसार नक्शा तरमीम जरिये इन्द्राज शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 20/11/2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द